

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत - सब डिविजनल ऑफिसर

मुकाम - फुलियाकलां

महेश

बनाम

TDR


फरम मुकदमा - 89 आर टी एक्ट

प्रकरण संख्या - 23 / 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम तामील से जारी हुए
08.06.2022	<p>वकील वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 89 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया गया। वादपत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते विपक्षीगण की तलब हेतु दिनांक 14.07.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>Wkous</i></p> <p><u>14/7/22</u> पत्रावली पेश हुई। अन्य पक्ष उपस्थित P.O. सा अन्य कार्य में व्यस्त। बाहर पधारे/अभियान में पधार अवकाश म है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक <u>16/9/22</u> का पेश हो।</p> <p><u>16/9/22</u> पत्रावली पेश हुई। अन्य पक्ष उपस्थित P.O. सा अन्य कार्य में व्यस्त। बाहर पधारे/अभियान में पधार अवकाश म है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक <u>21/9/22</u> का पेश हो।</p> <p><u>21/9/22</u> पत्रावली पेश हुई। अन्य पक्ष उपस्थित P.O. सा अन्य कार्य में व्यस्त। बाहर पधारे/अभियान में पधार अवकाश म है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक <u>7-10-22</u> का पेश हो।</p> <p><u>7/10/22</u> पत्रावली पेश हुई। अन्य पक्ष उपस्थित P.O. सा अन्य कार्य में व्यस्त। बाहर पधारे/अभियान में पधार अवकाश म है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक <u>9/12/22</u> का पेश हो।</p> <p><u>9/12/22</u> पत्रावली पेश हुई। अन्य पक्ष उपस्थित P.O. सा अन्य कार्य में व्यस्त। बाहर पधारे/अभियान में पधार अवकाश म है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक <u>22/2/23</u> का पेश हो।</p> <p><u>22/2/23</u> पत्रावली पेश हुई। अन्य पक्ष उपस्थित P.O. सा अन्य कार्य में व्यस्त। बाहर पधारे/अभियान में पधार अवकाश म है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक <u>28/4/23</u> का पेश हो।</p>	

11/5/23

कमील वादी उपस्थित/प्रतिवादी गण
विधिवत रूप से सूचना के
बावजूद आज गैर हाजिर रहने से
विवाद प्रतिवादी गण एवम् न्याय कार्यालय
कमल में जारी जारी है शहारा में वकील
आवश्यक क्रमिलेखों पर पदार्थ के अंकन
किए गए। उपस्थित वादी के विद्वान अधिवक्ता
ने वादपत्र की सत्यता को दोहराने
हुए वाद वादी मंजूर किये जाने का
अनुरोध किया। वादी पक्ष को डटा
गया। पत्रावली का जारीकी से
अध्ययन/विरुद्ध विपक्षी गथा/प्रवादी
वादी क्रमिलेख दि 24/5/23 को पेश हो


उपस्थित अधिकारी
फूलिया कला, जिला-भीलवाड़ा

24.05.2023

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादपत्र के अन्तिम
निपटारे के लिए वादी ने मार्फत अधिवक्ता वादपत्र स्वीकार किये
जाने का अनुरोध किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध
दस्तावेजी साक्ष्य के अध्ययन/परीक्षण उपरान्त न्यायालय यह
मानता है कि वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में वादी का
नाम दुरस्त किया जाना न्यायोचित है। लिहाजा वाद वादी स्वीकार
योग्य है।

वादी का वादपत्र विरुद्ध विपक्षी स्वीकार किया जाकर,
विरस्तुत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर, सारे ईजलास सुनाया
गया।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

